KIND ATTENTION : Sri Shailesh Srivastavaji
NIC. Lucknow.

महत्वपूर्ण

संख्या– 3041 ई–2/तेरह–2018– 80/2012टी.सी.

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग–2

लखनऊ::दिनांक:28 सितम्बर, 2018

विषय– प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा आबकारी विभाग की जनहित गारण्टी से संबंधित आबकारी विभाग की चार(4) सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जनमानस को किफायती पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। लोकसेवा प्रबन्धन अनुभाग की अधिसूचना संख्या–208/91–2017 दिनांक 30.06.2017 द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अधीन आबकारी विभाग की चार(4) सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है ताकि जनमानस को ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उक्त सेवा को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराया जा सके।

2- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त आबकारी विभाग की निम्नलिखित चार(4) सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जनसामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है:–

Serial No.	Services Under Janhit Guarantee Act.
1	The supply of rectified spirit to schools/colleges and Hospitals
2	The export of narcotic medicins(for disease)
3	The issuance of occasional Bar Licence
4	The issuance of sacramental wine

3– आबकारी विभाग की चयनित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई.टी. विभाग के शासनादेशानुसार लिये जायेंगे।

4 अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है, तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे, किन्तु आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र लोकवाणी केन्द्र, जनसुविधा केन्द्र तथा ई–सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लागिन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी संबंधित सेवा के लिए प्रस्तर–3 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

5– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त डिलिवरी प्वाइन्ट्स यथा–जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों तथा ई–सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलिवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहिया यथा–इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी है।

6- आवेदक द्वारा विभाग की सेवा को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र पर जा कर सुविधा प्राप्त करनी होगी। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लागिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से संबंधित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र संबंधित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा।

7- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये आवेदन विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा, जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।

8- आबकारी विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने, एन.आई.सी./ एस.ई.एम.टी. की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किये जाने हेतु डा0 जोगेन्दर सिंह, संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी, आबकारी विभाग, इलाहाबाद (मोबाइल नम्बर 9454466100) ई-मेल- statupexcise@gmail.com को विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर द्वारा पायलट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी, ताकि गो-लाइव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

9- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियाँ शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3041(1)ई-2/तेरह-2018-80/2012टी.सी.-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3 आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे यह सुनिश्चत कर लें कि समस्त डिलिवरी प्वाइन्ट्स यथा-जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलिवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा-इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।
4 समस्त संयुक्त निदेशक, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश।
5 समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6 अपर मुख्य सचिव, लोकसेवा प्रबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7 राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8 एस0आई0ओ0 योजना भवन, लखनऊ।
9 हैड एस0ई0एम0टी0, उत्तर प्रदेश।
10 क्षेत्रीय कार्यालय, एन0आई0सी0, लखनऊ।
11 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या: 13605/आब-सॉख्यिकी/जनहित गारण्टी अधिनियम/18-19/दिनांक: अक्टूबर 08, 2018

श्री शैलेश श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आबकारी विभाग की उपरोक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कराने का कष्ट करें।

08/10/18
(डा0 जोगेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक, (सांख्यिकी)
मुख्यालय।